प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**—ए.सी.बी. चौकी कोटा **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या .....455/2022 **दिनांक**.....29/11/2022
2. **(1) अधिनियम—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारायें — 13 (1) (ई),13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988** एवं 13 (1) (बी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम— भारतीय दण्ड संहिता ..... धारायें —
   (3) अधिनियम.....1988.....धारायें —.....

   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**.....511.....**समय**.....1:30 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन ... सितम्बर 1097 से 06.04.2021 तक
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की .....दिनांक समय
4. **सूचना की किस्म :खाना तलाशी**
5. **घटना स्थल**
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः—
   (ब) 'पताः— कोटा
   जरायम देही संख्या.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना —
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :—**
   (अ) नामः— श्री धर्मवीर सिहं
   (ब) पिता का नाम — श्री मोहन सिहं
   (स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 49 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.— भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय— नौकरी
   (ल) पता— निवासी मारोली कला थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर हाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यरो स्पेशल यूनिट कोटा।
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :—**
   (1) श्री योगेन्द्र सिहं पुत्र श्री सुखपाल सिहं जाति राजपुत उम्र 56 साल निवासी मकान नम्बर 24 गली नम्बर 09 सरस्वती कॉलोनी कोटा हाल (निलम्बित) भू0 अभिलेख निरीक्षक जिला कोटा।
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः—**..... शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....खाना तलाशी जॉच रिपोर्ट अनुसार आय से अधिक 4985389/— रूपये (60.28) प्रतिशत
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :—**

महोदय,

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि परिवादी श्री रिजवान मोहम्मद पुत्र श्री मुश्ताक जाति मुसलमान निवासी घोषी मोहल्ला किशोरपुरा कोटा ने मय सहपरिवादी मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान निवासी सुलभ कॉम्पलेक्स के पास संजय बस्ती किशोरपुरा कोटा के दिनांक 05.04.2021 को ए0सी0बी0 चौकी कोटा शहर पर उपस्थित होकर टाईप शुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मुझ मोहम्मद रिजवान के नाना की पुश्तेनी जमीन खसरा नम्बर 217 रकबा करीब 5 बीघा ग्राम धाकडखेडी में है जिनकी मृत्यू हो चुकी है। उक्त जमीन का इन्तकाल खुलवाया जिसमे मेरी अम्मी व मोसी एवं मेरे पापा के नाम आ गये है। इस पर मेरे पास श्री योगेन्द्र सिहं चौहान कानूनगो ने फोन करके बाबूलाल से मिलने के लिये कहा। उक्त दोनो अधिकारी कर्मचारी मुझे डरा धमकाकर मुझसे रिश्वत लेना चाहते है। उक्त शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण योगेन्द्र सिहं कानूनगो व बाबूलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा परिवादी की अम्मी चॉद बीबी के नाम खुले इन्तकाल को केन्सिल नहीं करवाने की एवज में 10,000/— रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट होने से दिनांक 06.04.21 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया।

दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी बाबूलाल को परिवादी से 8000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर डिटेन किया गया। डिटेन शुदा आरोपी बाबूलाल व परिवादी एंव योगेन्द्र सिहं चौहान से आमने सामने पुछताछ की गई। कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्य से योगेन्द्र सिहं चौहान भू–अभिलेख निरीक्षक व बाबूलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरूद्व परिवादी से रिश्वत मांग कर रिश्वत राशि 8000/– रूपये ग्रहण किये जाना प्रमाणित पाया जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया एवं प्रकरण संख्या 112/2021 विरूद्व योगेन्द्र सिहं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं बाबू लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील लाडपुरा जिला के पजींबद्व हुआ। उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी योगेन्द्र सिहं चौहान एवं बाबू लाल के विरूद्व चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

ट्रेप कार्यवाही के पश्चात आरोपी श्री योगेन्द्र सिहं चौहान भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यालय तहसील लाडपुरा कोटा के आवास मकान नम्बर 24 गली नम्बर 9 सरस्वती कॉलोनी कोटा एवं आरोपी के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छावनी कोटा में स्थित लॉकर की खाना तलाशी नियमानुसार ली गई। खाना तलाशी के दौरान आरोपी योगेन्द्र सिहं के रिहायसी मकान से मिले सम्पत्ति के दस्तावेजों, वाहनों के दस्तावेजों, एल.आई.सी.के दस्तावेजों व बैंक खातों की डायरीयां इत्यादि दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्राप्त की गई तथा सुटकेश में मिली नगद राशि 1,16,200/– रूपये को कब्जे ब्यूरो लिया गया।

खाना तलाशियां उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दौरान वास्ते जांच मुझ उप अधीक्षक पुलिस धर्मवीर सिहं को प्राप्त हुई। खाना तलाशी की जांच के दौरान आरोपी के सेवाकाल के दौरान पदस्थापित स्थानों यथा यू0आई0टी0 कोटा, तहसील सागोंद, तहसील पीपल्दा एवं तहसील रामगंजमण्डी से जी0ए0 55 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। आरोपी योगेन्द्र सिहं चौहान उसकी पत्नि श्रीमती शालिनी चौहान व बच्चों हर्षित व हिमांशु के नाम बैंक खातों की डिटेल सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त की गई। आरोपी के पुत्र हर्षित व हिमांशु की जीवन बीमा पॉलिसियों से सम्बन्धित सूचना एल0आई0सी0 कोटा से प्राप्त की गई। आरोपी अधिकारी द्वारा लिये गये लोन के सम्बन्ध में सूचना बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोटा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कोटा, इण्डिया बुल्स लिमिटेड हाउसिगं फाईनेन्स कॉरपोरेशन कार्यालय गुरूग्राम नई दिल्ली से प्राप्त की गई। आरोपी के पुत्र हर्षित एवं हिमांशु के शिक्षा सम्बन्धी खर्च के सम्बन्ध में सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल कोटा, सिंघानिया स्कूल कोटा, ठाकूर जयसिहं सोसायटी ऑफ एजूकेशन कोटा, स्वामी केशवानन्द इन्सटीट्यूट जयपुर से सूचना प्राप्त की गई। आरोपी व उसके पुत्र हर्षित के नाम पजींकृत वाहनों से सम्बन्धित सूचना कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कोटा से प्राप्त की गई। आरोपी के आई.सी.आई. सी.आई. बैंक छावनी कोटा में स्थित लॉकर में रखे दस्तावेजात का आरोपी की उपस्थिति में लॉकर खुलवाकर पुनः अवलोकन कर लॉकर में रखे दस्तावेजात अनुसार आरोपी व उसकी पत्नि के नाम क्रय की गई सम्पत्ति (भूखण्डो) की दस्तावेजात में अंकित कीमत फर्द में अंकित की गई। आरोपित अधिकारी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व स्पष्टीकरण के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आरोपी की आम शौरत व सम्पत्ति के सम्बन्ध में गोपनीय जानकारी प्राप्त की गई।

सम्पूर्ण जांच, प्राप्त रिकॉर्ड, बैंक लॉकर में मिले दस्तावेजात के अवलोकन व गोपनीय जानकारी से निम्न तथ्य स्पष्ट हुये।

श्री योगेन्द्र सिहं चौहान भू–अभिलेख निरीक्षक की आम शौहरतः– श्री योगेन्द्र सिहं चौहान की आम शौहरत एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में रही है। आरोपित अधिकारी द्वारा अपने सेवा काल के दौरान विशेषकर वर्ष 2013–2014 के बाद के सेवा काल में विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहते हुये काफी भ्रष्टाचार किये जो उसके द्वारा वर्ष 2013–14 के बाद अर्जित सम्पत्ति/खर्च सम्बन्धी निम्नांकित वर्णित विवरणों से स्पष्ट है तथा आरोपित अधिकारी के विरूद्व प्रकरण संख्या 112/21 रिश्वत राशि 8000/– रूपये प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किया जो माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में विचाराधीन है।

आरोपी अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठ भूमिः– आरोपित अधिकारी के पिता श्री सुखपाल सिहं चौहान लेखाधिकारी के पद से सेवा निवृत हुये। आरोपित के पिता श्री सुखपाल सिहं के पास मकान संख्या 24 गली नम्बर 09 सरस्वती कॉलोनी कोटा में स्थित था, जिन्होने अपने जीवन काल के दौरान ही आरोपित व उसके अन्य परिवारजनों को बतौर सम्पत्ति नहीं देकर आरोपित की पत्नि श्रीमति शालिनी व आरोपी के भाई श्री धर्मवीर सिहं को जरीये इकरार नामा 2005 में बैचान किया गया था। आरोपित के पिता द्वारा अपने पुत्रों को सम्पत्ति नहीं देकर उसे अपनी पुत्र वधू शालिनी व बडे पुत्र धर्मवीर सिहं को बेचान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आरोपित के पिता द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वेतन व भत्तों एवं अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त की गई आय को आरोपित या उसके भाई को नहीं दिया गया। इसी प्रकार आरोपित के भाई श्री धर्मवीर सिहं द्वारा भी अपने पिता से वर्ष 2005 में क्रय किया गया मकान आरोपित की पत्नि श्रीमति शालिनी को वर्ष

2017 में जरीये इकरारनामा 24,50,000/– रूपये में बैचान किया जाना स्पष्ट हुआ है। अर्थात आरोपित के सेवा काल में आने से पूर्व या पश्चात आरोपित को अपने परिवारजन से किसी प्रकार कोई पेतृक सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई ना ही पेतृक सम्पत्ति से कोई आय हुई है। आरोपित द्वारा अपने सेवा काल के दौरान अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अनुचित साधनों से अवैध आय अर्जित कर स्वयं व अपनी पत्नि श्रीमति शालिनी, पुत्र हर्षित के नाम परिसम्पत्तियां व वाहन क्रय किये गये है। आरोपित के मकान की खाना तलाशी के दौरान आरोपित की पत्नि शालिनी के नाम केनरा बैंक में स्थित खाता संख्या 2331201000549 के स्टेटमेन्ट का अवलोकन किया गया तो वर्ष 2013 से मार्च 2017 तक आरोपित की पत्नि के उक्त खाते में लाखों रूपये का लेन देन हुआ है जबकि आरोपी की पत्नि ग्रहणी है, कोई कार्य या बिजनेश नहीं करती है। इसलिए उक्त खाता में लेन देन के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

योगेन्द्र सिहं चौहान के मकान की खाना तलाशी के दौरान श्री जगदीश कुमार महावर निवासी आदित्य नगर बोरखेडा कोटा से उसकी पत्नि शालिनी द्वारा 12,00000/– रूपये दिनांक 04.10.2020 तक कर्ज लेने सम्बन्धी मूल इकरारनामा मिला था। उक्त इकरारनामा में उधार ली गई रकम 04.10.2020 तक ही उधार लेने का उल्लेख है तथा खाना तलाशी दिनांक 06.04.21 को ली गई तत्समय मूल इकरार नामा जो उधार रकम देने वाले के पास रहता है वह आरोपित के मकान पर खाना तलाशी के दौरान मिला इसलिए उक्त उधार ली गई रकम वापस चुकारा करने पर उक्त इकरारनामा जगदीश कुमार कुमावत से वापस प्राप्त करना स्पष्ट होता है। इसी प्रकार आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण के साथ श्री रमेश चन्द सुमन से दिनांक 23.09.2014 को 6 माह के लिए 10,00000/– रूपये उधार लेने एवं दिनांक 04.05.15 को श्री रमेश चन्द सुमन से ही 10,00000/– रूपये एक वर्ष के लिए उधार लेने सम्बन्धी इकरारनामों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसके सम्बन्ध में जांच से पाया गया है कि उक्त रकम क्रमशः 6 माह के लिए वर्ष 2014 में एवं एक वर्ष के लिए 2015 में उधार ली गई थी जिसकी अवधि ट्रेप कार्यवाही से काफी समय पूर्व (करीब 6–7 वर्ष) ही समाप्त हो जाने से आरोपित द्वारा उधार ली गई उक्त रकम वापस चुकारा करना पाया गया है, इसलिए आरोपित की पत्नि एवं स्वयं द्वारा उधार ली गई रकम को चुकता कर देना पाया गया तथा योगेन्द्र सिहं के मकान की खाना तलाशी के दौरान मिले जेवरात के सम्बन्ध में योगेन्द्र सिहं द्वारा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से जेवरात उसके राज्य सेवा में आने के पश्चात अर्जित किया जाना पाया गया।

आरोपी योगेन्द्र सिहं चौहान वर्ष 1997 में पटवारी के पद पर पदस्थापित हुआ एवं ट्रेप कार्यवाही दिनांक 06.04.2021 को कार्यालय तहसील लाडपुरा में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। जिसका सेवा काल के दौरान मार्च 2021 तक कुल सकल वेतन इनकम टेक्स कटौति के बाद 69,30,057/– रूपये है तथा सकल वेतन में से विभिन्न कटोतियों के पश्चात शुद्व वेतन 56,89,571 रूपये बतौर वेतन प्राप्त किये गये। आरोपी के पास राज्य सेवा में आते समय वेतन के अलावा आय का अन्य स्त्रोत नहीं था। आरोपी द्वारा राजकीय सेवा में पदस्थापन के बाद अवैध साधनों से अवैध आय अर्जित करते हुये स्वयं व अपनी पत्नि व पुत्र के नाम चल व अचल सम्पत्तियां क्रय की गई, जबकी आरोपी की पत्नि श्रीमती शालिनी चौहान गृहणी है जिसकी पृथक से आय का कोई जरीया नहीं है। आरोपी योगेन्द्र सिहं चौहान द्वारा राज्य सेवा में आने के पश्चात अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अनुचित साधनों द्वारा अवैध आय अर्जित कर स्वयं व अपनी पत्नि व पुत्र के नाम चल व अचल सम्पत्ति क्रय की गई है। आरोपी की ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय खर्च व परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नप्रकार है:–

योगेन्द्र सिहं व पत्नि शालिनी की सितम्बर 1997 से मार्च 2021 तक ज्ञात स्त्रोतों से अर्जित आयः–

क्रस	आय का शीर्षक विवरण	आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि	किसके द्वारा अर्जित की गई आरोपी से संबंध	शुद्व आय राशि
1.	एस. ओ. श्री योगेन्द्र सिहं की माह सितम्बर 1997से मार्च 2021 तक वेतन से शुद्व आय	1997–2021	वेतन से शुद्व आय	56,89,571/–
2.	एस.ओ. की पत्नि श्रीमति शालिनी की दूकान नम्बर 15 एवं मकान नम्बर 24 सरस्वती कॉलोनी से किराया आय वर्ष 2021–2022	2020–2021	किराये से प्राप्त	1,59,600/–

	मुताबिक किरायानामा व आई.टी.आर. अनुसार			
3.	एस.ओ. श्री योगेन्द्र सिहं को मकान न0 37 बृजविला देवली अरब रोड से प्राप्त किराया आई.टी.आर. वर्ष 2021–2022 में अंकित अनुसार 84000–25200	2020–2021	मकान किराये से	58,800/–
4.	एस.ओ. श्री योगेन्द्र सिहं को मकान न0 37 बृज विला देवली अरब रोड से प्राप्त किराया आई.टी.आर. वर्ष 2020–2021 में अंकित अनुसार 84000–25200	2019–2020	मकान किराये से	58,800/–
5.	एस.ओ. की पत्नि श्रीमति शालिनी द्वारा वर्ष 2014 में भुखण्ड संख्या 38, 80 फुट रोड अटवाल नगर कोटा को जरीये इकरारनामा द्वारा श्री सचिन गांधीं से 3,46,750/–रूपये में क्रय किया एवं दिनांक 04.01.2020 से जरीये इकरारनामा 7,00000/–रूपये में शहीद अहमद खान को विक्रय किया इस प्रकार उक्त भूखण्ड के क्रय एवं विक्रय का लाभांश	2020	एस.ओ. की पत्नि शालिनी द्वारा भुखण्ड विक्रय से	3,53,250/–/–
6.	एस.ओ. द्वारा राजस्थान बडौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक कन्सुआ से खाता सं0 46800600000087 से लिया गया लोन	19.01.2020	योगेन्द्र सिंह चौहान द्वारा लोन	5,00,000/–
7.	एस.ओ. द्वारा एस.बी.आई. शाखा राजभवन रोड कोटा से लिया गया होम लोन	05.10.2019	एस.ओ. के नाम	14,50,000/–

कुल योगः–82,70,021/–

इस प्रकार आरोपित श्री योगेन्द्र सिहं चौहान को अपने वेतन से मार्च 2021 तक बाद कटौतियों के शुद्व वेतन के रूप में 56,89,571/– रूपये स्वयं व पत्नि श्रीमती शालिनी चौहान को किराये से आय 2,77,200/– रूपये अपनी पत्नि के नाम 80 फुट रोड पर क्रय भुखण्ड संख्या 38 के विक्रय से लाभांश 3,53,250/– रूपये तथा विभिन्न बैंकों से 19,50,000/– लोन के रूप में प्राप्त किये है। अर्थात आरोपित की कुल आय 82,70,021/– रूपये होना पाई गई।

श्री योगेन्द्र सिहं द्वारा वर्ष सितम्बर 1997 से मार्च 2021 तक स्वयं, पत्नि व पुत्र के नाम अर्जित सम्पत्तियांः–

क0स	परिसम्पति का विवरण	खरीदने/निवेश दि0/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई आरोपी से संबंध	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	मकान नम्बर 24 सरस्वती कॉलोनी गली नम्बर 09 कोटा का 1/2 भाग क्रय इकरारनामा द्वारा आरोपित के पिता सुखपाल सिहं अनुसार	17.08.2005	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	2,00000/–
2.	मकान नम्बर 24 सरस्वती कॉलोनी गली नम्बर 09 कोटा का शेष 1/2 भाग क्रय इकरारनामा द्वारा आरोपित के भाई धर्मवीर सिहं, खाना तलाशी व आरोपी के स्पष्टीकरण अनुसार	25.09.2017	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	24,50,000/–
3.	भुखण्ड संख्या ए–17 पैमाईसी 800 वर्ग फुट नन्दनी नगर द्वितीय कोटा क्रय इकरारनामा	07.03.2008	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	1,55,000/–

	द्वारा निरन्जन कुमार अनुसार			
4.	भुखण्ड संख्या 202 व 203 पैमाईसी 2000 वर्ग फुट आवंली कोटा इकरारनामा द्वारा दीनदयाल भार्गव अनुसार	16.03.2010	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	90,000/–
5.	श्री जी विहार योजना कोटा में भुखण्ड संख्या 106 पैमाईसी 1200 वर्ग फुट इकरारनामा कल्याण वगैरह कुल 13 खातेमदारान अनुसार	15.09.2013	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	1,50,000/–
6.	श्री जी बिहार योजना कोटा में भुखण्ड संख्या 107 पैमाईसी 1120 वर्ग फुट इकरारनामा द्वारा कल्याण वगैरह कुल 13 खातेदारान अनुसार	15.09.2013	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	1,40,000/–
7.	भुखण्ड संख्या 06 अटवाल नगर कोटा में निर्मित दुकान नम्बर 15 बिना छत इकरारनामा द्वारा प्रराग शर्मा अनुसार	05.09.2014	एस. ओ. की पत्नि श्रीमती शालिनी के नाम	4,00000/–
8.	भुखण्ड संख्या 37 पैमाईसी 1000 वर्ग फुट बृजबिला देवली अरब रोड कोटा इकरारनामा द्वारा भूपेन्द्र शर्मा अनुसार	2014	एस.ओ. के नाम	5,11,000/–
9..	भुखण्ड संख्या 37 बृजबिला देवली अरब रोड कोटा के सम्पूर्ण परिसर पर करवाये गये मकान निर्माण की लागत अनुमानित	2014	एस.ओ. के नाम	9,00000/–
10.	जरीये इकरारनामा योगेन्द्र सिहं चौहान द्वारा रमेश चन्द वर्मा एवं ललिता वर्मा को दिया गया कर्ज	08.07.2015	एस.ओ. द्वारा	1,00000/–
11.	मकान नम्बर 108 ोपिगं सेन्टर कोटा में स्थित कमरा नम्बर 303 पैमाईसी 140 वर्ग फुट व 304 पैमाईसी 256 वर्ग फुट कुल 3396 वर्ग फुट इकरारनामा द्वारा मोहम्मद हुसैन अनुसार	13.04.2015	एस.ओ. की पत्नि शालिनी के नाम	5,53,000/–
12	कन्सुआ आवासीय योजना के आवास ई 59 जो श्री अब्दुल अलीम निवासी कोटडी गोरधनपुरा के नाम है, के मूल दस्तावेज आरोपी के बैंक लॉकर में मिले जिसे आरोपी द्वारा बिना लिखा पढी के वक्त खाना तलाशी लॉकर कय करना बताया स्प टीकरण में उक्त भुखण्ड को 3,00000/–रूपये में कय करना आरोपी द्वारा अंकित किया है।	2014–15	श्री अब्दुल अलीम के नाम	3,00000/–
13.	वाहन हुण्डई आई 10 एरा	2010	एस.ओ. के नाम	6,00000/–

	नम्बर आर.जे. 20, सीबी 6634 अनुमानित कीमत			
14.	एक मोटर साईकिल होण्डा लिवो नम्बर आर.जे. 20, के.एस. 1733 अनुमानित कीमत	2017	एस.ओ.के पुत्र हर्षित के नाम	50,000/–
15	एस.ओ. के मकान की खाना तलाशी के दौरान मकान नम्बर 24 सरस्वती कॉलोनी गली नम्बर 09 कोटा में मिले घरेलू सामानों की कीमत खाना तलाशी अनुसार	06.04.2021	———	3,61,300/–
16.	एस.ओ. के मकान की खाना तलाशी के दौरान मकान नम्बर 24 सरस्वती कॉलोनी गली नम्बर 09 कोटा में पत्नि, बच्चों की बचत राशि 64470/– रू0 के अतिरिक्त खाना तलाशी में मिली नगद राशि	06.04.2021	——	1,16,200/–
17	एस ओ के आईसीआइसी आई बैक शाखा छावनी कोटा के लॉकर में मिले सोने के जेवरात कुल 174.42 ग्राम की ट्रेप कार्यवाही के समय की अनुमानित कीमत 45,000रूपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से कीमत	06.04.2021	——	7,87,500/–
18	एस ओ के आईसीआइसी आई बैक शाखा छावनी कोटा के लॉकर में मिले चादी के जेवरात कुल 319 ग्राम की ट्रेप कार्यवाही के समय की अनुमानित कीमत 60,000 रूपये प्रति किलो के हिसाब से कीमत	06.04.2021	——	15,000/–
19	श्री योगेन्द्र सिहं चौहान के एस. बी.आई. खाता संख्या 51060767309 में जमा राशि	दिनांक 05.04. 21	एस.ओ.के खाते में	34487/–
20	एस.ओ. की पत्नि श्रीमति शालिनी के एस.बी.आई. बैंक खाता संख्या 38676552338 में दिनांक	25.03.21	एस.ओ.की पत्नि	13882/–
21.	श्री योगेन्द्र सिहं के पंजाब नेशनल बैंक यू0आई0टी0कैम्पस कोटा के खाता संख्या 11342191043982 में जमा राशि	21.05.21	एस.ओ. के नाम	45,665/–
22	एस.ओ. के पुत्र श्री हर्षित चौहान के एस.बी.आई. बैंक खाता संख्या 386766455539 में जमा राशि	25.03.21	एस.ओ.के पुत्र के खातें में	2978/–
23	एस.ओ. की पत्नि श्रीमति शालिनी के केनरा बैंक कोटा के खाता संख्या 2331201000549 में जमा राशि	27.03.21	एस.ओ.की पत्नि के खाते में	10128/–

कुल योगः–79,86,140/–

इस प्रकार आरोपित श्री योगेन्द्र सिहं चौहान द्वारा अपने सेवा काल में स्वयं एवं अपनी पत्नि शालिनी चौहान के नाम विभिन्न स्थानों पर उक्त अचल सम्पत्ति व स्वयं व अपने पुत्र हर्षित के नाम उक्त अचल सम्पत्ति क्रय की गई है। उपरोक्त सारणी अनुसार ज्ञात सम्पत्तियों का कुल मूल्य 79,86,140/–रूपये पाया गया।

श्री योगेन्द सिह, उसकी पत्नि व बच्चों द्वारा वर्ष सितम्बर 1997 से मार्च 2021 तक किये गये खर्चो का विवरणः–

कस.	खर्च का शीर्षक विवरण	खर्च करने की दि0/व	किसके द्वारा खर्च किया गया – आरोपी से संबंध	खर्च की गयी राशि
1	रसोई खर्च (असत्यापनीय व्यय) एस.ओ. की सकल (आय 7013436– इनकम टेक्स भुगतान 83379) शेष 6930057 का 1/3 हिस्सा	सितम्बर 1997 से मार्च 2021 तक	घरेलु खर्च एस.ओ. एव परिवार	23,10,019/–रूपयें
2.	इण्डिया बुल्स लिमिटेड से वर्ष 2014 में लिये गये लोन कीराशि 15,00,000/–रूपये पर वर्ष 2019 तक दिया गया ब्याज 7,82,133 रूपये कुल जमा 22,82,133 रूपये इस प्रकार प्राप्त लोन व चुकता की गई राशि का अन्तर इण्डिया बुल्स लिमिटेड से प्राप्त सुचना अनुसार	वर्ष 2014 से 2019 तक		07,82,133/–
3.	एस.ओ. द्वारा एस.बी.आई. शाखा राजभवन रोड कोटा से 05.10.2019 को लिये गये होम लोन की जमा किश्तें लोन स्टेटमेन्ट अनुसार	05.10.2019 से 04.04.21 तक	एस.ओ. द्वारा	2,53,097/–/–
4.	एस.ओ. द्वारा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक कन्सुआ कोटा से दिसम्बर 2014 में लिया गया लोन 5,00000/– रूपये का ब्याज 2,59,459/– रूपये कुल 7,59,459/– रूपये जमा किये इस प्रकार लिये गये लोन व चुकारा की गई राशि का अन्तर (ब्याज राशि) लोन स्टेटमेन्ट अनुसार	2014 से 2019 तक	एस.ओ.द्वारा	2,59,459/–
5.	एस.ओ. द्वारा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक कन्सुआ कोटा से खाता संख्या 46800600000087 से दिनांक	जनवरी 2020 से 9.06. 2021 तक	एस.ओ.द्वारा	2,04,489/–/–

	19.01.2020 को लिये गये लोन 5,00000/–रूपये की चुकारा किश्तों की राशि लोन स्टेटमेन्ट अनुसार			
6.	एस. ओ के पुत्र हर्षित चौहान की शिक्षा पर किया गया खर्च सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार	वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक	पुत्र हर्षित की शिक्षा	23200/–
7.	एस. ओ के पुत्र हर्षित चौहान की शिक्षा पर किया गया खर्च सिंघानिया स्कूल बांरा रोड कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार	वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक	पुत्र हर्षित की शिक्षा	2,59,740/–
8.	एस. ओ के पुत्र हर्षित चौहान की शिक्षा पर किया गया खर्च ठाकूर जयसिहं सोसायटी योगीराज इन्सटीट्यूट कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार	वर्ष 2018–2019	पुत्र हर्षित की शिक्षा	55,000/–
9.	एस. ओ के पुत्र हिमांशु चौहान की शिक्षा पर किया गया खर्च सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार	वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक	पुत्र हिमांशु की शिक्षा	23200/–
10.	एस. ओ के पुत्र हिमांशु चौहान की शिक्षा पर किया गया खर्च सिंघानिया स्कूल बांरा रोड कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार	वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक	पुत्र हिमांशु की शिक्षा	2,84,780/–
11.	एस. ओ के पुत्र हिमाशु चौहान की शिक्षा पर किया गया खर्च स्वामी केशवानन्द इन्सटीट्यूट जगतपुरा जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार	वर्ष 2019 से 15.02.21 तक	पुत्र हिमांशु की शिक्षा	2,90,350/–
12.	लाईफ इन्सोरेन्श पॉलिसी संख्या 188969292 में जमा मात्र एक किश्त एल.आई.सी. कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार	11.10.17	पुत्र हिमांशु के नाम	11241/–
13.	लाईफ इन्सोरेन्श पॉलिसी संख्या 188969327 में जमा मात्र एक किश्त एल.आई.सी. कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार	16.08.17	पुत्र हर्षित चौहान की शिक्षा	11254/–
14.	वाहन स्वीफ्ट डिजायर नम्बर आर.जे. 20, सी.एफ. 6060 को वर्ष 2016 में करीब 8,00000/–/– में क्रय कर वर्ष 2019 में 5,72,667/– में विक्रय किया इस प्रकार उक्त कार	2016	एस.ओ. के नाम	2,27,333/–

	क्रय व विक्रय से हानि (8,00000–572667) 2,27,333/– रूपये उक्त कार क्रय व विक्रय पर अन्तर के रूप में खर्च हुये			
15.	एस ओ की वर्ष 2021–2022 की आई टी आर अनुसार दिया गया ब्याज	2020	एस ओ द्वारा	96,221/–
16.	एस ओ की वर्ष 2020–2021 की आई टी आर अनुसार दिया गया ब्याज	2019	एस ओ द्वारा	1,77,954/–

कुल योगः– /– 52,69,270/–

इस प्रकार आरोपी योगेन्द्र सिहं चौहान द्वारा वर्ष सितम्बर 1997 से ट्रेप कार्यवाही दिनांक 06.04.21 तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पत्तिया, आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क. चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः– शून्य
ख. चैक पिरियड के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः–79,86,140/–
ग. चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख–क):79,86,140/–
घ. चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्व आय की कुल राशिः–82,70,021/–
ड. चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशिः–52,69,270/–
च. चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (ग + ड) : 1,32,55,410/–
छ. आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च–घ): 49,85,389/–
ज. आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घ X100)= $\frac{4985389 \text{ X } 100}{82,70,021}$
60.28 प्रतिशत

इस प्रकार आरोपी श्री योगेन्द्र सिहं चौहान द्वारा आलोच्य अवधी वर्ष सितम्बर 1997 से 06.04.2021 तक के **ज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त आय 82,70,021 /– रूपये है जबकी अर्जित सम्पत्ति का मूल्य** 79,86,140/– **रूपये एवं व्यय राशि 52,69,270 रूपये पाई गई है। अर्थात अर्जित सम्पत्ति तथा व्यय राशि का योग** 1,32,55,410/– **रूपये मे से आरोपी की उक्त आय 82,70,021/– रूपये को घटाने पर 49,85,389/– रूपये अपने वैद्य आय के ज्ञात स्त्रोतो से अनुपातिक धनीय संसाधन एवं आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।**

प्रकरण मे विस्तृत अनुसंधान से आरोपित अधिकारी के उसके पदस्थापन स्थानों व कोटा शहर मे स्वंय, अपनी पत्नि एवं अपने रिश्तेदारों, साडू व साली के नाम परिसम्पतियां क्रय किये जाने के सम्बन्ध में व निवेश बाबत गहन अनुसधांन किये जाने पर आय से अधिक सम्पत्ति और बढने की सम्भावना है तथा खाना तलाशी के दौरान अपनी साली श्रीमति रूची भदौरिया के नाम ग्राम खेडा जगपुरा उप तहसील मण्डाना में क्रय भूखण्ड संख्या 38 जिसका मूल इकरारनामा, मुख्तारआम व वसीयतनामा जो खाना तलाशी के दौरान आरोपित के लॉकर में मिला है। जिसके सम्बन्ध में भी गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आरोपित अधिकारी व पुत्र के नाम क्रय वाहनों के रख रखाव एवं फ्यूल खर्च के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाने पर आरोपित अधिकारी के खर्च में लाखों रूपये की बढोतरी होना सम्भव है। इसलिए इन तथ्यों पर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

इस प्रकार आरोपित योगेन्द्र सिहं चौहान भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपने उपरोक्त पदावधि के दौरान अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपने आपको अवैध रूप से साश्य समृद्व किया है तथा अपनी वैद्य आय के ज्ञात स्त्रोतों से अनुपातिक धनीय संसाधन एवं सम्पत्ति उसके कब्जे में है जो कि धारा 13 (1) (ई) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13 (1) (बी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी योगेन्द्र सिहं चौहान पुत्र श्री सुखपाल सिहं जाति राजपुत उम्र 56 साल निवासी मकान नम्बर 24 गली नम्बर 09 सरस्वती कॉलोनी कोटा हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (निलम्बित) जिला कोटा के विरूद्व धारा 13 (1) (ई) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13 (1) (बी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018का अपराध धटित होना पाया जाने से आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(धर्मवीर सिहं)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी मकान नम्बर 24, गली नम्बर 09, सरस्वती कॉलोनी, कोटा हाल (निलम्बित) भू-अभिलेख निरीक्षक, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 455/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.11.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 3927-30 दिनांक 29.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, S.U. कोटा।

29.11.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।